



93

न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

R 272-I-17

1. राजकुमारी पत्नी नाथू सिंह
2. राकेश पुत्र नाथू सिंह
3. श्रीमती रामा पत्नी भूरु

निवासीगण भटपुरा डोंग तह. व जिला मुरैना म.प्र.

— आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त रिठौराकलॉ तह. व जिला मुरैना

— अनावेदक

श्री S.P. Nhand Ad.
आज दि. 20/01/17 को
प्रस्तुत

~~कलक~~
क्लक ऑफ कोर्ट 20-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

S.P. Nhand
20/1/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 7 म.प्र. वासस्थान दखलकार
(भूमिस्वामी-अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980
न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त-9 रिठौराकलॉ तह. व जिला
मुरैना के प्र.क. 83/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक
05.09.2016 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका माननीय
न्यायालय के समक्ष जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत।

प्रकरण के तथ्य :-

1. यह कि, आवेदकगण को श्रीमान् तहसीलदार महो. तह. व जिला मुरैना द्वारा ग्राम में आवादी के भू-खण्ड धारकों को आवासहीन होने के कारण आवेदकगण के आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया जा कर प्र.क. 83/बी-121/2015-16 पर दर्ज किया जा कर विधिवत् उद्योषणा जारी की गई। आपत्तियाँ आहूत की गई, समयावधि में किसी की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण विधिवत् नियमों का पालन करते हुये आदेश दिनांक 27.06.2016 से पट्टे

R- 272-217 मुंबई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि
<p>17/4/17</p> <p>M</p>	<p>आवेदक आविदवा श्री- एस एच वाकर इवॉल्व होकर- मित्रों सिपाई नि-06 प्रकार को आव नही चलाया-वाहने हो आव आवेदक आविदवा के आवशय- पर प्रकार वर प्रस- में समाप्त दिनांक 17/4/17</p>	<p>17-4-17 17-4-17</p>